60

पत्रांक 8/वि01-48/2010.......110........./

झारखण्ड सरकार

मानव संसाधन विकास विभाग

(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

प्रेषक,

मृदुला सिन्हा,

सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी उपायुक्त,

सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी,

सभी जिला शिक्षा अधीक्षक,

झारखण्ड।

राँची, दिनांक ....17.. जनवरी, 201

विषय :– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 3 की धारा 21 के तहत् राज्य के गैर सरकारी सहायता प्राप्त कोटि के विद्यालयों व छोड़कर शेष सभी कोटि के प्रारंभिक विद्यालयों में विद्यालय प्रबंध समिति गठि करने के संबंध में।

महाशय,

आप अवगत हैं कि झारखण्ड राज्य में भी दिनांक 01.04.2010 से निःशुल्क औ अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 लागू है। उक्त अधिनियम की धारा 21 के तह राज्य के सभी प्रारंभिक विद्यालयों (गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों को छोड़कर) में विद्यालय प्रब समिति का गठन किया जाना है। विद्यालय प्रबंध समिति की संरचना, स्वरूप, गठन, कार्यकाल दायित्वों के संदर्भ में एक मार्ग निदेशिका इस पत्र के साथ संलग्न है।

अनुरोध है कि संलग्न मार्ग-निदेशिका के अनुरूप सभी प्रारंभिक विद्यालयों सहायता प्राप्त विद्यालयों को छोड़कर) में विद्यालय प्रबंध समिति का एक पक्ष के अन्दर गठन क हुये तत्संबंधी सूचना संलग्न प्रपत्र में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित कि जाये।

विश्वासभाजन

(मृदुला सिन्हा)

सरकार के प्रधान सचिव

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) की धारा 21 के तहत् राज्य के गैर सरकारी सहायता प्राप्त कोटि के विद्यालयों को छोड़कर शेष सभी कोटि के विद्यालयों में (कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालय में) विद्यालय प्रबंध समिति गठित करने के संबंध में मार्ग-निर्देशिका –

1. विद्यालय प्रबंध समिति की संरचना –

(1) विद्यालय प्रबंध समिति का कार्यकाल 3 वर्षो का होगा। तीन वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर समिति का पुर्नगठन किया जायेगा।

(2) विद्यालय प्रबंध समिति में सदस्यों की संख्या 16 होगी जिसमें पचहत्तर प्रतिशत यथा 12 सदस्य बालकों के माता-पिताओं या अभिभावकों में से होंगे। इन 12 सदस्यों में कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के माता-पिता को समानुपातिक प्रतिनिधित्व दिया जायेगा तथा 12 सदस्यों में से न्यूनतम 6 सदस्य महिला होंगी।

(3) उक्त समिति की सदस्य संख्या का शेष पच्चीस प्रतिशत यथा 4 निम्नवत् होंगे –

(क) स्थानीय प्राधिकार के एक निर्वाचित सदस्य;
(ख) विद्यालय का एक शिक्षक, जिसका चयन विद्यालय के शिक्षकों द्वारा किया जायेगा;
(ग) विद्यालय की बाल संसद के एक प्रतिनिधि;
(घ) विद्यालय के प्रधानाध्यापक/ प्रधान शिक्षक/ वरिष्ठतम शिक्षक।

(4) उक्त समिति द्वारा माता-पिता सदस्यों में से एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष का चयन किया जायेगा। विद्यालय के प्रधानाध्यापक/ प्रधान शिक्षक/ वरिष्ठतम शिक्षक प्रबंध समिति के पदेन सदस्य संयोजक होंगे।

2. विद्यालय प्रबंध समिति के गठन की प्रक्रिया – संबंधित विद्यालय में पढ़ने वाले सभी छात्रों के माता-पिता की एक बैठक आयोजित की जायेगी। इस बैठक का आयोजन संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा किया जायेगा तथा संबंधित प्रधानाध्यापक यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त बैठक में विद्यालय में पढ़ने वाले सभी छात्रों के माता-पिता अनिवार्य रूप से भाग लेंगे। प्रधानाध्यापक द्वारा बैठक की सूचना उस प्रखण्ड के प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी तथा संबंधित जिला के जिला शिक्षा अधीक्षक को भी अनिवार्य रूप से देंगे। जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा प्राधिकृत प्रखण्डस्तरीय पदाधिकारी/ संकुल स्तरीय पदाधिकारी के देख रेख में उस विद्यालय में पढ़ने वाले सभी छात्रों के माता-पिता 12 माता-पिता सदस्यों का चयन उपरोक्त कंडिका 1 की उप कंडिका (2) में वर्णित प्रावधान के आलोक में करेंगे।

अनुलग्नक: मानव संसाधन विकास विभाग (प्राथमिक शिक्षा निदेशालय) का पत्रांक 110 दिनांक 17 जनवरी, 2011 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य के प्रत्येक प्रारंभिक विद्यालय (गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों को छोड़कर) में गठित की जाने वाली विद्यालय प्रबंध समिति के गठन, संरचना, स्वरूप एवं दायित्वों हेतु मार्ग निर्देशिका।

59

3. विद्यालय प्रबंध समिति का कार्य –

(1) उक्त समिति की प्रत्येक माह में कम से कम एक बैठक होगी। बैठकों की कार्यवाही उक्त समिति के सदस्य संयोजक द्वारा विधिवत संधारित की जायेगी। कार्यवाही पंजी आम जनता के अवलोकन हेतु विद्यालय में उपलब्ध रहेगी।

(2) उक्त समिति, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम में उल्लेखित कार्यों के अतिरिक्त निम्न् कार्यों का निर्वहन करेगी –

(क) अधिनियम में उल्लेखित बालक के अधिकारों एवं केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकार, विद्यालय, माता-पिता तथा अभिभावकों के कर्तव्यों के संबंध में विद्यालय के आसपास की जनता को सरल ढंग से बतायेगी ;

(ख) विद्यालय के शिक्षकों की नियमित एवं समयबद्ध उपस्थिति सुनिश्चित करायेगी ;

(ग) शैक्षिक वर्ष के अन्तर्गत प्रत्येक कक्षा हेतु निर्धारित पाठ्यक्रम को निर्धारित समय सीमा के अन्दर पूर्ण करायेगी ;

(घ) विद्यालय के छात्रों के माता-पिता की नियमित बैठक बुलाकर उनके बच्चों की उपस्थिति, सीखने की क्षमता, बच्चों की प्रगति व अन्य प्रासंगिक जानकारी संबंधित बच्चों के माता-पिता को देगी ;

(ङ) विद्यालय का कोई शिक्षक निजि शिक्षण कार्य में नहीं लगे, इसका कार्यान्वयन करेगी ;

(च) शिक्षकों पर गैर-शैक्षणिक कार्यों का भार नहीं डाला जाये, इस हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेगी एवं इसका अनुश्रवण करेगी ;

(छ) विद्यालय में आसपास के सभी बालकों का नामांकन और नियमित उपस्थिति को सुनिश्चित करेगी ;

(ज) अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप मानकों एवं मापदण्डों को विद्यालय में बनाये रखने हेतु आवश्यक कार्रवाई करेगी ;

(झ) किसी भी बालक के अधिकारों में किसी प्रकार का हनन होने पर, समिति इसको स्थानीय प्राधिकार की जानकारी में लायेगी ;

(ञ) विद्यालय की आवश्यकताओं का पता लगाने, योजना तैयार करने तथा अधिनियम की धारा 4 के उपबंधों के लागू करने हेतु अनुश्रवण करने का कार्य करेगी ;

(ट) निःशक्त बालकों की पहचान कर, उनका नामांकन करवाने तथा इन्हें उपलब्ध शिक्षा सुविधाओं का अनुश्रवण करने और उनकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करवाने का कार्य करेगी ;

(ठ) विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना का समुचित रूप से कार्यान्वयन करवायेगी एवं योजना के सभी पहलुओं का अनुश्रवण करेगी ;

(ङ) विद्यालय की प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक लेखा तैयार करेगी।

(ढ) यह समिति सर्व शिक्षा अभियान के तहत् विद्यालय के अन्तर्गत हो रहे सभी कार्यक्रमों का गहन अनुश्रवण करेगी एवं सुनिश्चित करेगी कि राशि का सही सदुपयोग हो रहा हो। किसी भी प्रकार की अनियमितता को अविलम्ब प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को प्रतिवेदित करेगी।

4. विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा विद्यालय विकास योजना तैयार करना–

(1) प्रत्येक विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा अपने विद्यालय हेतु एक विद्यालय विकास योजना तैयार की जायेगी।

(2) विद्यालय विकास योजना तीन वर्षीय योजना होगी, जिसमें तीन वार्षिक उपयोजनायें होंगी।

(3) विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा यह विकास योजना उस वित्तीय वर्ष जिसमें इस समिति का गठन हुआ है के अन्त से कम से कम तीन माह की अवधि के अन्तर्गत तैयार की जायेगी।

(4) विद्यालय विकास योजना में निम्नलिखित ब्योरे होंगे –

(क) प्रत्येक वर्ष के लिये कक्षा-वार नामांकन का आकलन ;

(ख) अधिनियम एवं नियम के अनुसार, कक्षा 1 से कक्षा 5 और कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिये अलग से अतिरिक्त अध्यापकों, जिसके अंतर्गत प्रधान अध्यापक, विषय अध्यापक और अंशकालिक अनुदेशक भी हैं, की संख्या की आवश्यकता का विवरण ;

(ग) अधिनियम एवं नियम के अनुसार, अतिरिक्त आधारभूत संरचनाओं की आवश्यकता का विवरण;

(घ) अधिनियम के अधीन विद्यालय के उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिये कोई अन्य अतिरिक्त आवश्यकता।

(ड.) उपरोक्त के आलोक में विद्यालय की वित्तीय आवश्यकता।

58

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

प्रपत्र

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) की धारा 21 के तहत् राज्य के गैर सरकारी सहायता प्राप्त कोटि के विद्यालयों को छोड़कर शेष सभी कोटि के विद्यालयों में (कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालय में) गठित विद्यालय प्रबंध समिति संबंधी सूचना।

जिला का नाम ....

क्र0 सं0	प्रखण्ड का नाम	विद्यालय का नाम	विद्यालय प्रबंध समिति गठित होने की तिथि	विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य संयोजक का नाम